भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –2015
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी जेलों में भारतीय अपराधी

2015. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख तक अन्य देशों की जेलों में बंद नागरिकों, श्रमिकों और महिलाओं सहित विचाराधीन भारतीय कैदियों का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कैदियों के पारस्परिक आदान–प्रदान के लिए किसी अन्य देश के साथ किसी समझौता ज्ञापन या आपसी समझ पर हस्ताक्षर किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कैदियों को विधिक सहायता प्रदान करने और हमारे उच्च आयोगों और दूतावासों में विधिक प्रणाली को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्यर्पण के लिए पारस्परिक संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं करने वाले अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों को प्रभावी करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं;

(ङ) विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या सरकार के पास भारतीय कैदियों और विचाराधीन कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने या उन्हें यातना दिए जाने संबंधी कोई सूचना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 9728 है। देशवार सूची अनुबंध–क में दी गई है। तथापि, कई देशों में प्रचलित सख्त गोपनीयता कानूनों के कारण, स्थानीय प्राधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करते हैं जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति न दे। यहां तक कि जो देश जानकारी साझा करते हैं, वे भी सामान्य तौर पर कैद विदेशी नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं।

(ख) भारत ने 31 देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर विदेशी देशों में बंद भारतीय कैदियों को उनकी सजा की शेष अवधि काटने के लिए भारत स्थानांतरित किया जा सकता है और उन देशों के कैदियों को वहां वापस भेजा जा सकता है। जिन 31 देशों के साथ भारत ने

सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वे हैं ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, एस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजरायल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम। 2018 के बाद से भारत द्वारा सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

भारत ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर दो बहुपक्षीय अभिसमयों नामतः विदेश में आपराधिक सजा काटने संबंधी अंतर–अमेरिकी अभिसमय और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी यूरोप परिषद अभिसमय पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिनके आधार पर सदस्य राष्ट्रों और अन्य देशों, जिन्होंने इन अभिसमयों को स्वीकार कर लिया है, के सजायाफ्ता व्यक्ति अपनी सजा की शेष अवधि काटने के लिए अपने मूल देशों में स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं।

(ग) विदेशों में कैद भारतीयों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, भारतीय मिशन और केंद्र, जहाँ भी आवश्यक हो, कानूनी सहायता प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। मिशन और केंद्र उन देशों में अधिवक्ताओं का एक स्थानीय पैनल भी रखते हैं जहाँ भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में है। संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी भारतीय कैदी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना विदेशों में भारतीय मिशनों और केंद्रों में योग्य मामलों में माली हालत के आधार पर संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में कानूनी सहायता के साथ–साथ प्रत्यावर्तन के दौरान यात्रा दस्तावेज़ / हवाई टिकट के लिए भारतीय कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

(घ) विदेश मंत्रालय, प्रत्यर्पण मामलों और प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, जो भारत से भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण को विनियमित करता है। सामान्य तौर पर कोई भी अपराध जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा और अधिक कठोर दंड दिया जा सकता है, प्रत्यर्पण योग्य अपराध है। भगोड़ों को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि या व्यवस्था या लागू अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अनुरूप प्रत्यर्पित किया जा सकता है। आज तक, भारत ने 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है।

अधिकाधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि करने के प्रयास चल रहे हैं, विशेष रूप से उन देशों के साथ जहां निवेश कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकता उपलब्ध है या जिनके पास निवेश मार्ग के माध्यम से अनुकूल स्थायी निवास या पासपोर्ट व्यवस्था है।

(ड.) एवं (च) सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीयों सहित विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन/कथित उल्लंघन के लिए विदेशी देशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर गहनता से नजर रखते हैं। जैसे ही किसी भारतीय नागरिक की हिरासत/गिरफ्तारी की सूचना भारतीय मिशन/केंद्र को मिलती है, तो वह तुरंत स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करता है ताकि हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार भारतीय नागरिक तक कोंसली सहायता पहुंचाई जा सके जिससे कि मामले के तथ्यों का पता लगाया जा सके, उसकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा सके और उसका कल्याण सुनिश्चित किया जा

सके। मिशन/केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहते हैं कि विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी के मुद्दे पर विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र स्थानीय प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। विदेश स्थित मिशन/केन्द्र जल्द से जल्द जांच और न्यायिक कार्यवाही पूरी करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी संपर्क करते हैं। सरकार अन्य देशों के साथ कोंसली एवं अन्य परामर्शों के दौरान भी इस मुद्दे पर बातचीत करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों/केन्द्रों और उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से विदेशी देशों में भारतीय कैदियों की सजा माफी/ सजा कम करने संबंधी मामले भी उठाती है और इस पर कार्रवाई करती है। जब ये भारतीय कैदी रिहा हो जाते हैं, तो उन्हें जल्दी स्वदेश वापसी के लिए यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध–क

क्र. सं.	देश	विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या
1	अफगानिस्तान	8
2	अंगोला	4
3	अर्जेंटीना	1
4	आर्मेनिया	39
5	ऑस्ट्रेलिया	33
6	ऑस्ट्रिया	11
7	अज़रबैजान	3
8	बहरीन	313
9	बांग्लादेश	12
10	बेलारूस	2
11	बेल्जियम	10
12	भूटान	61
13	ब्रूनेइ दारएस्सलाम	1
14	कनाडा	23
15	चिली	1
16	चीन	174
17	कांगो	9
18	कोत दी आइवर	6
19	क्यूबा	1
20	साइप्रस	30
21	चेक गणराज्य	1
22	डेनमार्क	1
23	मिस्र	2
24	इथियोपिया	4
25	फ्रांस	41
26	जॉर्जिया	29
27	जर्मनी	80
28	यूनान	22
29	ग्वातेमाला	2
30	गिनी	1
31	हंगरी	4
32	आइसलैंड	1
33	इंडोनेशिया	23
34	ईरान	51
35	इजराइल	7

36	इटली	154
37	जमैका	1
38	जापान	3
39	जॉर्डन	12
40	केन्या	1
41	कुवैत	386
42	किर्गिज़स्तान	3
43	लाओस	3
44	लेबनान	6
45	मलावी	1
46	मलेशिया	379
47	मालदीव	11
48	माल्टा	2
49	मॉरीशस	9
50	मेक्सिको	1
51	मोज़ाम्बिक	5
52	म्यांमार	24
53	नेपाल	1282
54	नाइजीरिया	9
55	उत्तरी मैसेडोनिया	5
56	ओमान	176
57	पाकिस्तान	42
58	फिलिपींस	43
59	पोलैंड	5
60	कतर	588
61	आयरलैंड गणराज्य	6
62	कोरिया गणराज्य	3
63	रूस	20
64	सऊदी अरब	2594
65	सेनेगल	6
66	सर्बिया	2
67	सियरा लिओन	1
68	सिंगापुर	80
69	स्लोवेनिया	1
70	दक्षिण अफ्रीका	8
71	दक्षिण सूडान	1
72	श्रीलंका	30

73	ताजिकिस्तान	1
74	तंजानिया	3
75	थाईलैंड	38
76	टोगो	2
77	तुर्किये	1
78	त्रिनिदाद एवं टोबैगो	2
79	संयुक्त अरब अमीरात	2308
80	युगांडा	1
81	यूनाइटेड किंगडम	282
82	यूएसए	164
83	उज़्बेकिस्तान	5
84	वियतनाम	4
85	यमन	1
86	ज़िम्बाब्वे	2
	कुल	**9728**
